Ref. No. F.2(1)/SPUJ/2013/Admn&Estt/BOM-Vol.-II/ 6439 **Dated:** 11/3/19

-: कार्यवाही विवरण :-

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रबन्ध बोर्ड की 12वीं बैठक (विशेष बैठक), जो दिनांक 08 मार्च 2019 को दोपहर 3.00 बजे माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में, पुलिस मुख्यालय, जयपुर के द्वितीय तल पर स्थित सम्भाषा कक्ष में आयोजित की गई थी, में निम्नलिखित सदस्य महानुभाव उपस्थित हुए

1. श्री एन.आर.के. रेड्डी, आईपीएस, माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष, एसपीयूपी, जोधपुर
2. श्री राकेश कुमार मीणा, एस.ओ., (प्रतिनिधिः अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान)
3. श्री मेवाराम जाट, संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय–IV) विभाग (प्रतिनिधिः अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान)
4. श्री कपिल गर्ग, आईपीएस, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान
5. श्री हेमन्त प्रियदर्शी, आईपीएस, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक cum निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर
6. श्री राजकुमार अरोड़ा, आचार्य (प्रतिनियुक्त), सिक्योरिटी एण्ड इन्टेलीजेन्स स्टडीज़, एसपीयूपी, जोधपुर
7. श्री जे.सी. पुरोहित, कुलसचिव, एसपीयूपी, जोधपुर

प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में निम्नलिखित सदस्य महानुभाव उपस्थित नहीं हुए–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. डॉ. सी.बी. शर्मा, आईपीएस (सेवानिवृत्त), जयपुर
3. प्रो. पूनम सक्सेना, कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर
4. प्रो. शान्तनु चौधरी, निदेशक, आईआईटी, जोधपुर
5. श्री श्रीराम अरूण, **D 8, Vigyan Puri, Mahanagar, Lucknow-226006**

उक्त बैठक से सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्थाओं एवं बैठक के चर्चा बिन्दुओं से सम्बन्धित आवश्यक सहयोग एवं तत्काल जानकारी प्रदान करने हेतु, श्रीमती डिम्पल पवार आर्य उप–कुलसचिव, श्री अनुज त्यागी, निजी सहायक भी बैठक में उपस्थित हुए।

11/3/19

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबन्ध बोर्ड के उपस्थित सदस्यों के स्वागतोपरान्त, विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में संचालित की जाने वाली गतिविधियों से अवगत कराते हुए, बिन्दुवार चर्चा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श कर, निम्नानुसार निर्णय लिये गये–

बिन्दु संख्या–12/1- विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की 11वीं बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2018 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

निर्णय–<u>12/1</u>- प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या–12/2- विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2018 के कार्यवाही विवरण के अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण।

निर्णय–<u>12/2</u>- प्रबन्ध बोर्ड की 11वीं बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2018 के कार्यवाही विवरणानुसार, विश्वविद्यालय द्वारा की गई अनुपालना–प्रतिवेदन का सर्वसम्मति अनुमोदन किया गया

बिन्दु संख्या–11/3- विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 की धारा–11–1(a) के अन्तर्गत एक सदस्य के मनोनयन पर विचार।

निर्णय–<u>11/3</u>- सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 की धारा–11–1(a) में अंकित प्रावधानानुसार, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा, कुलपति पद पर चयन हेतु गठित समिति में, प्रबन्ध बोर्ड की ओर से, श्री ....दलपत सिंह दिनकर (IPS) Retd.... को सर्वसम्मति से सदस्य मनोनीत किया गया।

बिन्दु संख्या–11/4- अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

1. विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् की 11वीं बैठक दिनांक 13 दिसम्बर,, 2018 के कार्यवाही विवरण पर विचार एवं अनुमोदन।

   निर्णय–<u>11/4-1</u>- सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर की विद्या परिषद् की 11वीं बैठक दिनांक 13 दिसम्बर,, 2018 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

11/2/19

2. **विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विभिन्न केन्द्रों में मानद निदेशकों की नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन–**

निर्णय–<u>11/4-2</u>– विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सड़क सुरक्षा केन्द्र, जयपुर में मानद निदेशक के पद पर पूर्व में नियुक्त/कार्यरत श्री मनोज भट्ट, आईपीएस के स्थान पर, श्री बी.एल. सोनी, आईपीएस को, तीन वर्ष की अवधि हेतु, केन्द्र के मानद निदेशक के पद पर, नियुक्त किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इसी प्रकार, श्री हेमन्त प्रियदर्शी, आईपीएस, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक cum निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी को, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सेन्टर फॉर पीस् एण्ड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, जयपुर के मानद निदेशक के पद पर, तीन वर्ष की अवधि हेतु नियुक्त किये जाने एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सेन्टर फॉर चाईल्ड प्रोटेक्शन, जयपुर में मानद निदेशक के पद पर, श्री राजीव शर्मा की सेवाऐं, यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया गया। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध केन्द्रों के मानद निदेशक के पद पर नियुक्त अधिकारियों के कार्यकाल में एक वर्ष की अभिवृद्धि किये जाने का प्रस्ताव भी, सर्वसम्मति से पारित किया गया।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

11/3/20